न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 48/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		विमल कुमार पुत्र गोरधन राम जाति निवासी संत आशाराम कॉलोनी भदवासिया कॉलोनी जोधपुर। फर्मः—जय श्री भोमियाजी नमकीन भदवासिया जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः—
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री वीरभान सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26.09.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी विमल कुमार पुत्र गोरधनराम निवासी संत आशाराम कॉलोनी भदवासिया जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2024 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा जयश्री भोमियाजी नमकीन, भदवासिया जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर मौके पर उपस्थित व्यक्ति पप्पुराम पुत्र गिरधारीराम द्वारा प्रतिष्ठान पर 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों (एच.पी) का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों हेतु किया जाना पाया गया परन्तु उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी विधिक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

दस्तावेज व कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर पाए गये 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	03960Z	19.4 कि.ग्रा.	30.7 कि.ग्रा.	11.3 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.	019610s	19.2 कि.ग्रा.	19.2 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
3.	एच.पी.	017297s	19.5 कि.ग्रा.	20.5 कि.ग्रा.	1.0 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.	9932G	19.5 कि.ग्रा.	37.8 कि.ग्रा.	18.3 कि.ग्रा.
5.	एच.पी.	00708T	19.4 कि.ग्रा.	31.6 कि.ग्रा.	12.2 कि.ग्रा.
6.	एच.पी.	031961T	19.4 कि.ग्रा.	35.6 कि.ग्रा.	16.2 कि.ग्रा.

उक्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री हनुमानराम पुत्र भल्लाराम विश्नोई मैनेजर मारवाड गैस एजेंसी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का बिना कनैक्शन के अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग बिना वैद्य कनैक्शन के किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री वीरभान सिंह ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त फर्म पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नियमानुसार व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा फर्म जयश्री भोमियाजी नमकीन भदवासिया रोड जोधपुर के नाम एच.पी.सी.एल कम्पनी से नियमानुसार आवेदन कर कुल 02 व्यवसायिक सिलेण्डर मारवाड गैस एजेन्सी से कन्ज्यूमर संख्या 500282 दिनांक 03.11.2022 एंव 07.11.2022 से कुल 02 सिलेण्डर कनैक्शनसुदा प्राप्त किये हुए है, एंव अन्य 04 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर कन्ज्यूमर संख्या 900185 दिनांक 30.11.2024 द्वारा प्राप्त किए हुए है। वक्त जांच, दस्तावेज प्रतिष्ठान पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

नहीं किये जा सके। कनैक्शनसुदा प्राप्त उक्त 06 सिलेण्डर नियमानुसार रिफिल करवाकर प्रतिष्ठान पर उपयोग में लिये जा रहे थे। साक्ष्य स्वरूप अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्म के नाम जारी कनैक्शन डायरी तथा व्यवसायिक सिलेण्डर भरवाये जाने का विवरण प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए उक्त जब्तसूदा 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों (एच.पी.) को राज्यसात नहीं किये जाने हेतु आग्रह किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी.) का बिना वैद्य कनैक्शन के व्यवसायिक उपयोग में लिए जाना पाया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कनैक्शन दस्तावेज से जब्तसुदा 02 एचपी सिलेण्डर नियमानुसार जांच दिनांक 28.11.2024 से पुर्व वैध तरीके से प्राप्त किया जाना सिद्ध होता है, जो कि अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा 04 एच.पी व्यवसायिक सिलेण्डर का कनैक्शन जांच दिनांक के 02 दिवस पश्चात दिनांक 30.11.2024 को प्राप्त किए हुए है जिससे वक्त जांच जब्त किए गए 04 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के संबध में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग किया जाना सिद्व होता है जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 04 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात करते हुए 02 व्यवसायिक गेस सिलेण्डर (एचपी) को रिलीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)